

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 12, 2014/वैसाख 22, 1936

No. 260]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 12, 2014/VAISAKHA 22, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 20/2014-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, 12 मई, 2014

सा.का.नि. 337 (अ).—अभिहीत प्राधिकारी ने, चीन जनवादी गणराज्य, कोरिया जनवादी गणराज्य, यूरोपीय संघ, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका में मूलतः उद्गमित या वहां से निर्यातित शीर्ष 7219 के अंतर्गत “स्टेनलैस स्टील के कोल्ड रोल्डम फ्लैट-प्रोडक्ट्स” आयात के मामले में अधिसूचना सं. 15/04/2014-डीजीएडी, तारीख 17 अप्रैल, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में तारीख 17 अप्रैल, 2014 के द्वारा प्रकाशित की गई थी के द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 14/2010-सीमा शुल्क, तारीख 20 फरवरी, 2010, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 95 (अ) तारीख 20 फरवरी, 2010 के द्वारा प्रकाशित के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क के संबंध में, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (5) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति का अवधारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात

उक्त नियम भी कहा गया है) के नियम 23 के तहत प्रतिपाटन शुल्क जारी रखने के मामले में समीक्षा आरंभ की थी और उक्ति टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (5) के तहत, अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क समाप्त होने की तारीख से एक वर्ष और बढ़ाने की सिफारिश की थी;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त) अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) तथा उपधारा (5) तथा उक्त नियम के नियम 23 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 14/2010-सीमा शुल्क, तारीख 20 फरवरी, 2010 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 95 (अ) तारीख 20 फरवरी, 2010 के द्वारा प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात, निम्नलिखित पैराग्राफ अंतस्थापित किया जाएगा अर्थात्-

“पैराग्राफ 2 में निहित के बावजूद यह अधिसूचना 21 अप्रैल, 2015 जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक प्रभावी रहेगी यदि पहले विखंडित न किया जाये । ”

[फा.सं. 354/87/2009-टीआरयू (भाग-III)]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 14/2010-सीमा शुल्क 1, तारीख 20 फरवरी, 2010 को सा.का.नि. 95 (अ), 20 फरवरी, 2010 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 86/2011-सीमा शुल्क, 6 सितम्बर, 2011, जिसे सा.का.नि. 663(अ) दिनांक 6 सितम्बर, 2011 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, dated the 12th May, 2014

No. 20/2014-Customs (ADD)

G.S.R. 337 (E).—Whereas, the designated authority vide notification number 15/04/2014-DGAD, dated the 17th April, 2014, published in Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 17th April, 2014, have initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on “Cold Rolled Flat Products of Stainless Steel” falling under the heading 7219 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in, or exported from, the People’s Republic of China, Korea RP, European Union, South Africa, Taiwan (Chinese Taipei), Thailand and United States of America (USA) imposed vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), notification No. 14/2010-Customs, dated the 20th February 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 95 (E), dated the 20th February, 2010, and have

requested for extension of anti-dumping duty for a further period of one year, in terms of sub-section (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of Section 9A of the said Customs Tariff Act and in pursuance of Rule 23 of the said Rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 14/2010-Customs, dated the 20th February, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 95(E), dated the 20th February, 2010, namely :—

In the said notification, after Paragraph 2, the following shall be inserted, namely: —

“3. Notwithstanding anything contained in Paragraph 2 above, this notification shall remain in force up to and inclusive of 21st April, 2015 unless revoked earlier.”.

[F. No. 354/87/2009-TRU (Pt-III)]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.—The principal notification number 14/2010-Customs, dated the 20th February, 2010 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 95 (E), dated the 20th February, 2010 and was last amended vide notification No. 86/2011-Customs, dated the 6th September, 2011 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 663 (E), dated the 6th September, 2011.